

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-27/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर कार्रवाई टिप्पणी तारीख
24.05.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि <u>15.6.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>15.6.18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> <u>24.5.18</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
15.06.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि <u>16.7.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>16.7.18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> <u>15.6.18</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
16.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 792, दिनांक 12.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा-वार्ड नं०-06, चक्रधरपुर नगरपालिका, थाना नं०-68, खाता नं० 36, प्लॉट नं० 127, रकवा:-0.06 ए० भूमि विक्री के पश्चात् आवेदक के पास 13 डि० 731 ए० भूमि अवशेष बचता है। इस कार्यालय के पत्रांक 267/रा० दिनांक 17.07.2013 द्वारा इस संबंध में स्पष्ट करने हेतु आवेदक को नोटिस निर्गत किया गया है। दिनांक 24.07.2018 को आवेदक न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में बताया है कि क्रेता एवं विक्रेता के बीच पिता-पुत्र का संबंध है। आदेश की टंकित प्रति अलग से संलग्न है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> <u>16.7.18</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
24.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 792 दिनांक 12.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री राजेन्द्र चौधरी, पिता श्री राम, जाति-पासी (अ.जा.), ग्राम-वार्ड नं०-06 पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोमिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-वार्ड नं०-06, चक्रधरपुर नगरपालिका, थाना नं०-68, खाता नं० 36, प्लॉट नं० 127, रकवा:-0.06 ए०, क्रेता श्री सुनील कुमार चौधरी, पिता-श्री राजेन्द्र चौधरी, जाति-पासी (अ.जा.), ग्राम-टोकलो रोड, वार्ड नं०-06, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतेहार किया गया।</p> <p>जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री राजेन्द्र चौधरी, पिता श्री राम, जाति-पासी (अ.जा.), ग्राम-वार्ड नं०-06 पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इशतेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता का आपसी संबंध पिता-पुत्र का है एवं जाति अनु.जाति (पासी) समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात् विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 0.13.731 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा आम इशतेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक पिता-पुत्र है को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री सुनील कुमार चौधरी, पिता-श्री राजेन्द्र चौधरी, जाति-पासी (अ.जा.), ग्राम-टोकलो रोड, वार्ड नं०-06, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोमिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित <i>Devi</i> <u>24.7.18</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> <p style="text-align: right;"><i>Devi</i> <u>24.7.18</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p>	